न्यायालयःअपर सेशन न्यायाधीश सं0 2 बयाना, कैम्प रुपवास, जिला भरतपुर(राज०)	
पीठासीन अधिकारी - प्रशांत शर्मा आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)	
निर्णय दिनांक - 09.04.2026	
सेशन केस संख्या - 106/2018	
सी०आई०एस नंबर - 61/18	
प्र०सू०रिपोर्ट सं. व पुलिस थाना - 409/2018, पुलिस थाना रूपबास	
परिवादी-प्रार्थी	राजस्थान राज्य

प्रस्तुतकर्ता	**श्री ओमप्रकाश तिवाडी, विद्वान अपर लोक अभियोजक** वास्ते-राजस्थान राज्य
अभियुक्त का विवरण	1. **सत्यप्रकाश उर्फ संतोली** पुत्र स्व० श्री किशनलाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी- ग्राम चैंकोरा थाना रूपबास, जिला भरतपुर ।
अधिवक्ता अभियुक्त	**1. श्री नोहबत सिंह राजावत,**
अधिवक्ता परिवादी-पीडित पक्ष	-

अपराध घटित होने की दिनांक	08.08.2018
पर्चा बयान पर प्र०सू०रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	08.08.2018
आरोप पत्र पेश होने की दिनांक	25.10.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	20.12.2018
साक्ष्य हेतु नियत किये जाने की दिनांक	24.01.2019
बहस अंतिम सुनी जाने की दिनांक	09.04.2026
निर्णय पारित किये जाने की दिनांक	09.04.2026
दंडादेश हेतु नियत दिनांक, यदि कोई हो	------------

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अधिरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के लिये
01.	सत्यप्रकाश	09.08.18	05.09.19	धारा 302, 498ए, 323 भादंसं	दोषमुक्त	**निर्णयानुसार**	

-:: निर्णय::-

दिनांकः 09.04.2026

01. अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 08.08.2018 को मजरूबा/मृतका राधा ने जैर ईलाज सीएचसी, रूपबास पर पर्चा बयान दिया, कि दिनांक 08.08.2018 को दोपहर करीब 02.20 बजे उसका पति सत्यप्रकाश शराब पीकर आता है, जिस पर उसने व उसके बेटे सनी ने उसे शराब पीने से मना किया, तो उसके पति शनि को पीटने लगे । वह बेटे को बचाने गई, तो उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसका शरीर जल गया और वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिस पर पडौसी आये, जिन्होंने उसे बचाना चाहा, मगर तब तक वह काफी जल चुकी थी । उसे एम्बूलेंस से अस्पताल लाये ।----इत्यादि उक्त पर्चा बयान पर मु०नं० 409/2018 अपराध धारा 307 भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान पुलिस थाना रूपबास द्वारा अभियुक्त सत्यप्रकाश उर्फ संतोली के विरुद्ध धारा 323, 302, 498ए भादंसं में अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुपबास में दिनांक 25.10.2018 को आरोप पत्र पेश किया गया, जहॉ से उक्त प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने पर कमिट होकर इस न्यायालय में दिनांक 20.12.2018 को पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त सत्यप्रकाश उर्फ संतोली के विरुद्ध धारा 323, 302, 498ए भादंसं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान परीक्षित करवाये गयेः-

क्र.सं.	अभियोजन साक्षी का नाम	किस तथ्य से संबंधित साक्ष्य
01.	पी०ड० 01 कुमारी निक्की उर्फ निकिता	अभियोजन कथानक की ताईद, नक्शा मौका प्रदर्श पी01, फर्द जब्ती पारचेजात प्रदर्श पी02, फर्द जब्ती केरोसीन युक्त व सादा मिट्टी प्रदर्श पी03, पुलिस बयान प्रदर्श पी04 से संबंधित
02	पी०ड० 02 अनुराग	अभियोजन कथानक की ताईद, नक्शा मौका प्रदर्श पी01, पुलिस बयान प्रदर्श पी05 से संबंधित
03.	पी०ड० 03 श्रीमती	अभियोजन कथानक की ताईद, नक्शा मौका प्रदर्श पी01 व पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 से संबंधित

04.	पी०ड० 04 लक्ष्मीनारायण	अभियोजन कथानक की ताईद से संबंधित
05.	पी०ड० 05 दीपू सिंह	अभियोजन कथानक की ताईद, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी07, फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी08, पुलिस बयान प्रदर्श पी09 से संबंधित
06.	पी०ड० 06 शिवमोहन	अभियोजन कथानक की ताईद, फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी07, फर्द जब्ती पीपी प्रदर्श पी10 व पुलिस बयान प्रदर्श पी10 से संबंधित
07.	पी०ड० 07 सत्यवीर सिंह	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सत्यप्रकाश प्रदर्श पी12 से संबंधित
08.	पी०ड० 08 कप्तानसिंह	फर्द जब्ती पारचेजात प्रदर्श पी02, फर्द जब्ती केरोसीन युक्त मिट्टी व सादा मिट्टी प्रदर्श पी03, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सत्यप्रकाश प्रदर्श पी12 से संबंधित
09.	पी०ड० 09 श्याम सिंह	अभियोजन कहानी की ताईद, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी13 व पुलिस बयान प्रदर्श पी14 से संबंधित
10.	पी०ड० 10 जगनसिंह	फर्द पंचायतनाम प्रदर्श पी13 से संबंधित
11.	पी०ड० 11 विष्णु सिंह	अभियोजन कथानक की ताईद, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी13 व पुलिस बयान प्रदर्श पी15 से संबंधित
12.	पी०ड० 12 गोविन्द सिंह	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी15 से संबंधित
13.	पी०ड० 13 राजवीर सिंह	एफएसएल में जमा माल की रसीद प्रदर्श पी16 से संबंधित
14.	पी०ड० 14 पुष्पेन्द्र सिंह	सम्पूर्ण हालात तफ्तीश से संबंधित
15.	पी०ड० 15 मदनलाल	तफ्तीश व चार्जशीट से संबंधित
16.	पी०ड० 16 मनीष कुमार, आर०जे०एस	मृतका के मृत्युकालिक कथन से संबंधित
17.	पी०ड० 17 डॉ० अनिल सोलंकी	मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी23 से संबंधित

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी1	फर्द निरीक्षण घटनास्थल का नक्शा मौका
02.	प्रदर्श पी2	फर्द जब्ती पारचेजात
03.	प्रदर्श पी3	फर्द जब्ती केरोसीन युक्त मिट्टी व सादा मिट्टी
04.	प्रदर्श पी4	पुलिस बयान कु० निक्की उर्फ निकिता
05.	प्रदर्श पी5	पुलिस बयान अनुराग उर्फ सनी
06.	प्रदर्श पी6	पुलिस बयान श्रीमती
07.	प्रदर्श पी7	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल
08.	प्रदर्श पी8	फर्द तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका
09.	प्रदर्श पी9	पुलिस बयान दीपूसिंह

10.	प्रदर्श पी10	फर्द जब्ती पीपी प्लास्टिक हल्की पीली
11.	प्रदर्श पी11	पुलिस बयान शिवमोहन
12.	प्रदर्श पी12	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सत्यप्रकाश
13.	प्रदर्श पी13	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका राधा
14.	प्रदर्श पी14	पुलिस बयान श्याम सिंह
15.	प्रदर्श पी15	पुलिस बयान विष्णु सिंह
16.	प्रदर्श पी15 (सहवन से पुनः)	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
17.	प्रदर्श पी16	एफएसएल में जमा माल की रसीद
18.	प्रदर्श पी17	पर्चा बयान
19.	प्रदर्श पी18	चाक एफआईआर
20.	प्रदर्श पी19	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधि० मुलजिम सत्यप्रकाश
21.	प्रदर्श पी20	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधि० मुलजिम सत्यप्रकाश
22.	प्रदर्श पी21	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधि० मुलजिम सत्यप्रकाश
23.	प्रदर्श पी22	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका राधा
24.	प्रदर्श पी23	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका राधा
25.	प्रदर्श पी24	एफएसएल रिपोर्ट
26.	प्रदर्श पी25	मृतका के मृत्युकालिक कथन
27.	प्रदर्श पी26	आदेशिकायें बाबत मृत्युकालिक कथन
28.	प्रदर्श पी27	मृत्युकालिक कथन भिजवाये जाने बाबत् पत्र

05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

06. प्रकरण में न्यायालय की ओर से निम्न दस्तावेज बतौर न्यायालय प्रदर्श प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र०सं०	न्यायालय प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
01.	-	-

07. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये गवाहान की साक्ष्य को गलत व असत्य होना बताया है व प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं करवाई गई ।

क्र०सं०	बचाव साक्षी का नाम	किस तथ्य से संबंधित है
01.	-	-

08. बचाव पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में प्रलेखीय एवं भौतिक

साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ।

क्र०सं०	दस्तावेज	दस्तावेजों का विवरण
01.	-	-

09. बचाव पक्ष की की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

10. बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

11. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा कि उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

12. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया है, मामले में मृतका की संतान पी०ड० 01 निकिता व पी०ड० 02 मृतका के भाई पी०ड० 06 शिवमोहन व पी०ड० 11 विष्णु सिंह पक्षद्रोही घोषित हुये है । अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण पी०ड० 03 श्रीमती, पी०ड० 04 लक्ष्मीनारायण, पी०ड० 05 दीपूसिंह, पी०ड० 09 श्याम सिंह पक्षद्रोही होते हुये अभियोजन कथानक की ताईद नहीं की है एवं उक्त गवाहान ने मृतका द्वारा दर्ज करवाये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी17 के समर्थन में भी कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा मृतका से की जाने वाली मांग व आग लगाने लगाने के संबंध में किसी साक्षीगण की साक्ष्य दृढ नहीं रही है । किसी भी साक्षी का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है, जिससे प्रकट होता हो, कि अभियुक्त द्वारा मृतका पर केरोसीन डालकर आग लगाई हो । इन परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन असत्य एवं बढे-चढे तथ्यों पर होने से विश्वसनीय नहीं है । पत्रावली पर अभियोजन कथानक बाबत अभियुक्त के विरुद्ध लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों की रोशनी में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

13. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

14. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2018 को दोहपर 02.00

बजे वाके गांव चैकोरा पुलिस थाना रूपबास में शराब पीकर अपने पुत्र सनी को स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा मारपीट करते समय सनी को बचाने आई पत्नि राधा, जिसके साथ रोज शराब पीकर क्रूरता कारित करते थे, ने शराब पीने से मना किया, तो उसके सिर पर सिलबटना मारा एवं मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कारित की ?

2. यदि हॉ, तो दण्डादेश ?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या एक</u>

15. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है, कि इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित मृतका की बेटी पी०डब्ल्यू० 01 कुमारी निक्की उर्फ निकिता ने अभियोजन के लिये पक्षद्रोही रहते हुये साक्ष्य दी है, कि 8 अगस्त, 2018 को दिन में ढाई बजे वह स्कूल से पढकर आई और बाहर छप्पर में पढने बैठ गई, तभी घर के अंदर से उसकी मां राधा के चिल्लाने की आवाज आई । वह आवाज पर अंदर देखने गई, तो उसकी मां जली अवस्था में मिली तथा वहां कोई नहीं था । उसके पापा वहां नहीं थे। उसे नहीं मालुम उसकी मम्मी कैसे जली थी । अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिरीक्षण में कथन किया है, कि उसकी मम्मी को सरकारी अस्पताल रूपबास लाये, जहां से भरतपुर व भरतपुर से जयपुर रैफर कर दिया । जयपुर में 10 दिन तक मां जिंदा रही, जिसके बाद अस्पताल में ही मौत हो गई । पुलिस उनके घर आई थी । नक्शा मौका बनाया था, तब उसका भाई अनुराग भी था । पुलिस द्वारा उसकी मां के पारचेजात जब्त किये थे, जो प्रदर्श पी02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस द्वारा उनके घर से कैरोसीन तेल युक्त मिट्टी जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी03 जब्त की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उससे पूछताछ की थी । गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी04 का ए से बी, सी से डी व ई से एफ भाग को पुलिस को नहीं लिखवाया जाना बताया है । उसके पापा इस समय जेल में बंद है, जो किस मुकदमे में बंद हैं, उसे नहीं पता। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके पिता ने मां को पहले सिलबट्टे से मारा हो व बाद में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह उसके पिता को बचाने के लिये उसके घर व रिश्तेदारों के दबाव में आकर

झूठे बयान दे रही हो । उसकी मां को उसके पिता ने नहीं मारा । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी01, 02, 03 पर पुलिस ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पुलिस ने उसके सामने कोई नक्शा नहीं बनाया, ना ही मिट्टी ली थी । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि दिनांक 08.08.2018 को उसके पिता गांव में नहीं थे, बाहर रिश्तेदारी में गये थे ।

16. मृतका के पुत्र पी०ड० 02 अनुराग ने पक्षद्रोही होते हुये मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि उसके घर में जो घटना हुई, उसे छः महीने हो गये । 08 अगस्त, 2018 को दोपहर लगभग 02.00 बजे की बात है, तब वह घर के बाहर था । उसे नहीं पता है, कि घर में क्या हुआ । उसकी मां के साथ कुछ नहीं हुआ था । अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसको अनुराग के अलावा सनी के नाम से भी पुकारते है। वे तीन भाई-बहिन है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आठ अगस्त को वह व उसकी बहिन निकिता दोपहर को स्कूल से पढ़कर आए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वे स्कूल से आकर अन्दर मकान में गए हो, बल्कि बाहर छप्पर में ही बैठ गए थे, जो उनके मकान के अन्दर ही है। उन्होंने स्कूल से आते ही रोटी नहीं खाई थी, बाद में तीन-चार बजे खाई थी । जब उनकी मम्मी को अस्पताल ले गए, तब रोटी खाई थी। उसकी मम्मी को अस्पताल ले गए थे, क्योंकि वह जल गई थीं। मम्मी ने अपने आप आग लगा ली थी। उसे नहीं पता, कि आग कैसे लगी। उसकी मम्मी की मृत्यु जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि दोपहर को उसके पिता ने उसे मारा-पीटा हो, तब उसकी मां ने सनी को बचाया हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी, सी से डी व ई से एफ भाग पुलिस को नहीं लिखवाया जाना बताया है । नक्शा मौका प्रदर्श पी01 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, जो पुलिस ने उनके घर आकर बनाया था । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिस दिन उसकी मम्मी जली, उस दिन उसके पिता गाँव में नहीं थे। उसके सामने उसकी मम्मी व पापा में कभी लडाई नहीं हुई ।

17. साक्षिया पी०ड० 03 श्रीमती ने भी पक्षद्रोही रहते हुये साक्ष्य दी है, कि

राधा उसकी ससुराल व गांव, बस्ती की थी । तीन दिन बाद पुलिस आई थी । उसने कोई घटना नहीं देखी, ना ही राधा की मृत्यु के बारे में सुना था, कि वह कैसे मरी । अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि पुलिस ने उसकी अँगूठा निशानी कराई थी, जो प्रदर्श पी 1 पर एक्स स्थान पर है । पुलिस ने उससे कहा था, कि वे राधा के घर पर आए हैं और उन्होंने नक्शा बनाया है। उसका घर राधा के घर से दूर है, लेकिन जब पुलिस वहाँ गई, तब वह पहुँच गई थी । वहां वहाँ खडी थी, तब पुलिस ने अंगूठा निशानी नक्शा मौका पर कराई थी। उसी समय पुलिस ने उससे पूछताछ की थी । गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का ए से बी व सी से डी भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना कहा है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह राधा के घर गई हो और उसने राधा को जली हुई हालत में देखा हो। वह राधा के पति सत्यप्रकाश को जानती है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह मुलजिम सत्यप्रकाश को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर उसकी अंगूठा निशानी कोरे कागज पर कराई थी। उसे नहीं पता, कि प्रदर्श पी 1 में पुलिस ने क्या लिखा था। जिस दिन राधा मरी, वह उससे तीन दिन बाद अपने पीहर से चैकोरा ससुराल आई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने सत्यप्रकाश व राधा को कभी भी लडते हुए नहीं देखा था ।

18. साक्षी पी०ड० 04 लक्ष्मीनारायण ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि करीब सात-आठ माह पहले उसने सत्यप्रकाश की पत्नि को जलते हुये देखा था । वह वहां पहुंचा, तो वहां महिला, आदमी व बहुत भीड-भाड थी। वह रोने-चिल्लाने की आवाज पर पहुंचा था । सत्यप्रकाश की पत्नि जली हुई हालत में मकान के तिबारे में पडी हुई थी । वहां महिलायें कह रही थी, कि इसके आंच टिक गई है । सत्यप्रकाश वहां नहीं था। सत्यप्रकाश की पत्नि को सत्यप्रकाश के भाई वगैरह अस्पताल ले गये थे । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने भीड में किसी से नहीं सुना, कि सत्यप्रकाश की पत्नि को किसी ने जलाया है । उस घटना के बाद से आज तक उसने नहीं सुना, कि सत्यप्रकाश की पत्नि को जलाया है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसके खाना बनाते समय साडी में आग लगने से वह जल गई थी, जो बात उसने वहां उपस्थित

औरतों से भी सुनी थी । यह बात उसकी जानकारी में है, कि राधा की बीच-बीच में हालत खराब हो जाती थी तथा उसका मनोचिकित्सालय में ईलाज चल रहा था । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी, तब वह अडौस-पडौस से भी झगडा करती थी । उसे नहीं पता, कि जिस समय राधा को आग लगी, तब सत्यप्रकाश गांव में मौजूद नहीं हो । राधा की मानसिक स्थिति खराब होने का उसके पीहर वालों को पता हो, तो उसे नहीं मालूम । घटना के समय सत्यप्रकाश व राधा के बच्चे वहां मौजूद थे । उसके पुलिस में बयान नहीं हुये, साईन करवाये थे। घटना वाले दिन वह सत्यप्रकाश के घर घुसा था । वहां मिट्टी का तेल नहीं फैला था ।

19. साक्षी पी०ड० 05 दीपू सिंह ने पक्षद्रोही रहते हुये साक्ष्य दी है, कि करीब छह-सात महीने पहले की बात है । राधा उसकी मौसी की लडकी है। उसे राधा के बच्चों ने बताया, कि उनकी माँ मिट्टी के तेल से जल गई है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, उक्त नक्शा उसके सामने नहीं बनाए। उसे नहीं पता है, कि राधा को किसने जलाया । अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी09 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखवाया जाना बताया है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उनका राजीनामा हो गया हो । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी07 व 08 पर उसके पुलिस ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी । इस घटना से पहले भी राधा ने कई बार स्वयं ही जलने का प्रयास किया था । ससुराल के अलावा राधा ने अपने पीहर में भी ऐसा प्रयास किया था । उसके पिता भीकम सिंह ने राधा का मानसिक ईलाज कराया था ।

20. साक्षी पी०ड० 06 शिवमोहन भी पक्षद्रोही रहा है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है, कि करीब एक साल पहले की बात है उसकी भान्जी निक्की ने उसे फोन किया, कि मम्मी जल गई है। वह गाँव से रूपबास अस्पताल आया, लेकिन राधा नहीं मिली, जिसके बाद वे भरतपुर हॉस्पीटल गए । वे उसे देखकर वापिस आ गए। राधा जल गई थी, उसकी उनसे कोई बात नहीं हुई । अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि पुलिस ने उसके सामने एक

प्लास्टिक की पीपी जब्त नहीं की। प्रदर्श पी 10 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 7 नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाया। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि रिश्तेदारों को बचाने के लिए वह झूठे बयान दे रहा हो। अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 7 व 10 पर उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस घटना से पहले भी राधा ने कई बार स्वयं जलने का प्रयास किया था। अपनी ससुराल के अलावा राधा ने अपने पीहर में भी ऐसा प्रयास किया था। उसके पिता भीकम सिंह ने राधा का मानसिक ईलाज कराया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा को किसी ने नहीं जलाया, वह खुद ही जली थी तथा जिस समय घटना घटित हुई, उस समय सत्यप्रकाश गाँव में मौजूद नहीं था ।

21. साक्षी पी०ड० 07 सत्यवीर सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 09.08.2018 को थाना रूपबास पर कॉनि० के पद पर तैनात था । उस दिन मुलजिम सत्यप्रकाश उर्फ संतोली को एएसआई पुष्पेन्द्र ने गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार करना बताया है। गिरफ्तारी के समय सभी लोग इकट्ठे थे । एएसआई ने उन लोगों के हस्ताक्षर गिरफ्तारी पर करवाने चाहे थे, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था । उसे ध्यान नहीं है, कि ऐसा नोट एएसआई ने फर्द गिरफ्तारी पर डाला या नहीं । मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना एएसआई ने मोबाईल से उसके घरवालों को दी थी, जिसका नंबर उसे नहीं पता है ।

22. साक्षी पी०ड० 08 कप्तान सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 09.08.2018 को थाना रूपबास पर कॉनि० के पद पर तैनात था । उस दिन पुष्पेन्द्र सिंह एएसआई के साथ गांव चैकोरा में सत्यप्रकाश उर्फ संतोली के घर में से उसके सामने केरोसीन युक्त मिट्टी व सादा मिट्टी घटनास्थल से उठाई जाकर सील मोहर कर फर्द बनाई थी एवं घटनास्थल से राधा के अधजले पारचेजात धोती व पेटीकोट को जब्त कर सील मोहर किया था । उसी दिन मुलजिम सत्यप्रकाश व

संतोली को थाने पर उसके सामने गिरफ्तार किया था । फर्द जब्ती पारचेजात प्रदर्श पी02, फर्द जब्ती केरोसीन युक्त मिट्टी व सादा मिट्टी प्रदर्श पी03 व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सत्यप्रकाश प्रदर्श पी12 है, जिन सभी पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि प्रदर्श पी-2 बनाई थी, तब वह व पुष्पेन्द्र एएसआई प्राइवेट मोटरसाइकिल से गए थे, जिसका नंबर उसे नहीं पता है। पेटीकोट गुलाबी रंग व धोती हरे नीले रंग की छापेदार थी, जो जलने से सिकुड गई थी। प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही के समय मौके पर गांव के काफी लोग आ गए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी-2 पर गांव के लोगों के साईन नहीं कराए थे। प्रदर्श पी-2 के जरिए जब्त किए कपडे आज उसके सामने मौजूद नहीं है। प्रदर्श पी-3 के जरिए मिट्टी जब्त की, उसके दो पैकेट बनाए थे, जो उसके सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। मिट्टी तिबारे से ली थी। मिट्टी बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया था। बरामदगी स्थल मिट्टी के नक्शा मौका पर उसके साईन नहीं कराए। मिट्टी जब्त की, उस समय वहां काफी लोग आ गए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 3 पर किसी स्वतंत्र गवाह के साईन नहीं कराए। मुलजिम को जंगल गांव चैकोरा से दस्तयाब कर थाने पर लाए थे। प्रदर्श पी-12 में मुलजिम को चैकोरा से दस्तयाब करने बाबत अंकन नहीं किया है, जिसका अंकन केस डायरी में है। उसने केस डायरी तैयार नहीं की थी। उसने केस डायरी को पढ़ा था, जिसका दिनांक 09.08.2018 की केस डायरी में अंकन किया है। जिस जगह से मिट्टी जब्त की, वहां जली मिट्टी नहीं थी। मिट्टी व कपडे जब्त करने के स्थलों का एक ही नक्शा बनाया था। बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया, तब वह मौके पर था। उन्हें मौके पर पूरी कार्यवाही करने में करीब एक घंटे का समय लगा था। प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 3 उसकी हस्तलिपि में है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 3 को उसके द्वारा तैयार करने बाबत कोई नोट अंकित नहीं किया। प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 3 को अनुसंधान अधिकारी ने उसे बोलकर लिखाया था। प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 3 की लिखा-पढी मुलजिम के घर के अंदर तिबारे में बैठकर की थी। तिबारे की दीवारों पर लपटों के निशान थे। प्रदर्श पी1 हालात मौका में दीवारों पर लपटों के निशान होने बाबत् अंकन अनुसंधान अधिकारी ने नहीं करवाया था। एक ही उत्तर दिशा की दीवार पर लपटों के निशान थे। कार्यवाही के दौरान मौके की फोटोग्राफी कराई या नहीं

कराई, उसे ध्यान नहीं है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई हो व उसने फर्दात पर थाने में साईन किए हों। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम को घटना वाले दिन गिरफ्तार नहीं किया था।

23. साक्षी पी०ड० 09 श्याम सिंह ने पक्षद्रोही रहते हुये साक्ष्य दी है, कि करीब सालभर पहले की बात है । राधा सत्यप्रकाश की पत्नि थी, जो खाना बनाते समय आग लगने से जल गई थी । उसे नहीं पता, कि खाना किस चीज पर बना रही थी । पुलिस ने राधा की लाश का पंचनामा एसएमएस अस्पताल, जयपुर में बनाया था। पंचनामा प्रदर्श पी13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस गांव में आई थी तथा उससे पूछताछ की थी । सत्यप्रकाश व उसकी पत्नि के बीच वाद-विवाद उसके सामने नहीं हुआ, ना ही उसने सुना । सत्यप्रकाश उस समय वहां नहीं था । अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम उसका भाई है । गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 का ए से बी व सी से डी भाग सुनकर पुलिस को नहीं देना बताया है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि एम्बुलेंस को उसने बुलाया था। वह राधा के ईलाज के लिए साथ गया था। उसके सामने थानेदार ने बयान नहीं लिए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा को रूपबास से भरतपुर रैफर कर दिया था। उसके सामने राधा के मजिस्ट्रेट साहब ने बयान नहीं लिए। मजिस्ट्रेट साहब आए, तब उसे राधा के वार्ड से बाहर निकाल दिया था। फिर राधा को एसएमएस अस्पताल जयपुर के लिए रैफर कर दिया था। राधा का एसएमएस में बर्न वार्ड में ईलाज चला था। राधा की मौत ईलाज के दौरान जयपुर में 20 तारीख को जलने के कारण हुई थी। राधा का पोस्टमार्टम व पंचनामा जयपुर में भी हुआ था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि सत्यप्रकाश ने राधा की हत्या की हो। गवाह ने प्रदर्श पी-14 का ई से एफ भाग गलत होना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि सत्यप्रकाश उसका सगा भाई होने के कारण वह झूठे बयान दे रहा हो। स्वयं कहा कि राधा भी उनकी बहू थी, उनके लिए समान थी तथा भाई से बढकर थी। सत्यप्रकाश राधा के ईलाज के समय उनके साथ नहीं गया था। सत्यप्रकाश राधा के ईलाज के दौरान रूपबास, भरतपुर व जयपुर अस्पताल में नही गया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा की मानसिक स्थिति पहले से सही नहीं थी व उसके पिता ने

भी उसका ईलाज कराया था। इससे पहले भी राधा ने मिट्‌टी का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की थी। राधा किसी को कुछ भी बोल देती थी व किसी पर कोई इल्जाम लगा देती थी। राधा अपने पति व पडौसियों पर शक करती थी। उससे डाक्टरों ने राधा की मानसिक स्थिति बाबत नहीं पूछा, ना उसने बताया। उसने राधा के ईलाज के दौरान खर्च व देखभाल की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि सत्यप्रकाश घटना के पहले से गांव में मौजूद नहीं था। उन्होंने इस घटना की राधा की मृत्यु होने तक सत्यप्रकाश को सूचना नहीं की। राधा ने ईलाज के दौरान किसी भी समय उसे यह नहीं बताया, कि उसे सत्यप्रकाश ने मिट्‌टी का तेल डालकर जलाया है ।

24. साक्षी पी०ड० 10 जगन सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि करीब डेढ साल पहले मृतका राधा का पंचायतनामा पुलिस ने उसके सामने बनाया था, जो प्रदर्श पी13 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसे नहीं पता, कि राधा की मृत्यु कैसे हुई । वे लोग जयपुर मिले थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में पुलिस द्वारा प्रदर्श पी13 पर कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाना कहा है । पुलिस ने लिखा-पढी बाद में की थी । उसे नहीं पता, इसमें क्या लिखा है ।

25. साक्षी पी०ड० 11 विष्णु सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि करीब डेढ साल पहले की बात है । आग का मेटर था । उसकी सगी बहिन राधा को आग लग गई थी । उसे नहीं पता, राधा के आग कैसे लगी, क्यों वह मौके पर नहीं था, गाडी पर था । मृतका राधा का पंचायतनामा पुलिस ने उसके सामने बनाया था, जो प्रदर्श पी13 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं । उसकी बहिन राधा की मृत्यु जलने के कारण हुई थी । उसे नहीं पता, कि उसकी बहिन को जयपुर कौन लेकर गया था । वह जयपुर गया था, उस समय राधा का ईलाज चल रहा था । वह राधा के अस्पताल पहुंचने के 5-6 दिन बाद जयपुर गया था तथा राधा उसके सामने 5-6 दिन भर्ती रही थी। वह राधा के साथ रहा था, जिस दौरान राधा की उससे कोई बातचीत नहीं हुई । उसे नहीं पता, कि राधा कैसे जली । राधा के कपडों से मिट्‌टी के तेल की बदबू नहीं आ रही थी । अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी15 का ए से बी भाग सुनकर पुलिस को नहीं देना कहा है । जब राधा का ईलाज चल रहा था, तब वह, उसकी मां तथा ससुराल पक्ष से राधा का जेठ वहां पर थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि ईलाज के

दौरान सत्यप्रकाश अस्पताल में नहीं था तथा जब तक राधा अस्पताल में रही, तब तक सत्यप्रकाश वहां नहीं आया। सत्यप्रकाश ने उससे राधा के हालचाल नहीं पूछे। उसकी मां पुष्पा व उसका छोटा भाई राधा को अस्पताल लेकर आए थे तथा जयपुर भी यही लोग लेकर गए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि सत्यप्रकाश ने उसकी बहन को मिट्टी का तेल डालकर जलाया हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि ईलाज के दौरान उसकी बात राधा से होती हो। पुलिस बयान में यदि ऐसा लिखा है, तो वह गलत लिखा है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी राधा से अस्पताल में बात हुई हो व राधा ने सत्यप्रकाश द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जलाना बताया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा का पोस्टमार्टम जयपुर में हुआ था। राधा के मरने के बाद भी सत्यप्रकाश अस्पताल में नहीं आया था। पोस्टमार्टम के समय वह, उसकी मां व राधा का जेठ वहां मौजूद थे, सत्यप्रकाश नहीं था। उन्होंने ही राधा का दाह संस्कार करवाया था। उसकी मौसी की लडकी अभियुक्त के बडे भाईयों को ब्याही हैं। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि सत्यप्रकाश ने उसकी बहन राधा को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारा हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा की मौत आग से जलने के कारण हुई थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी मौसी की लडकी इसी परिवार में ब्याही होने से वह सत्यप्रकाश को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसकी बहिन राधा की मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी। उसके पिताजी ने राधा के मानसिक रोग बाबत ईलाज भी कराया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि राधा शक करती हो। राधा की दिमागी हालत कमजोर थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राधा के जलने पर सत्यप्रकाश का भाई श्यामसिंह उसे इलाज के लिए लेकर गया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि सत्यप्रकाश बच्चों के पास रूक गया हो । वह जयपुर था, तब राधा ने जलने बाबत् कुछ नहीं बताया ।

26. साक्षी पी०ड०12 गोविन्द सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 09.08.2018 को हैड कॉनि० होते हुये, थाना रूपबास पर एचएम मालखाना के पद पर तैनात था । उस दिन मदनलाल मीणा एसएचओ, रूपबास ने मुकदमा नंबर 409/18 धारा 307 आईपीसी की जब्तशुदा एक कपडे की थैली में कैरोसीन तेल लगी मिट्टी एक

पॉलीथीन में रखकर सीलमार्क ए व दूसरी एक कपडे की थैली में पॉलीथीन में कच्ची फर्श से ली गई सादा मिट्टी सील मार्क बी व पारचेजात एक धोती बरंग गुलाबी हरा, नीला व सफेद छापेदार एक पेटीकोट बरंग गुलाबी पुरानी इस्तेमाली कपडे की थैली में सील मार्क सी दिनांक 09.08.2018 को जमा मालखाना कराया । एक कपडे की थैली में सील मार्क डी, जिसमें एक पीपी प्लास्टिक, जिसमें थोडा कैरोसीन भरा हुआ था, दिनांक 11.08.2018 को जमा मालखाना कराया था, जो उसके द्वारा मद संख्या 1092/188 पर इंद्राज किया गया था । उक्त माल को कॉनि० राजवीर सिंह द्वारा एफएसएल रसीद संख्या 12605 दिनांक 29.08.2018 को जमा कराया गया था, जिसकी मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि उसको जब माल जमा कराया, उसका समय फर्द जब्ती में अंकित है, उसे ध्यान नहीं है। जो पारचेजात फर्द जब्ती में लिखे थे, उसके अनुसार ही जमा किए थे। पारचेजात सीलशुदा थे। कैरोसीन की पीपी फर्द जब्ती के अनुसार जब्त की थी। उस पीपी का कलर उसे ध्यान नहीं है। वह पीपी सीलशुदा थी। उसे ध्यान नहीं है, कि उस पीपी पर थैली पूरी पर चढ़ी हुई थी या केवल ढक्कन पर थी। उस पीपी में थोडा तेल था, जो बज रहा था । उसे ध्यान नहीं है, कि वह तेल दिख रहा था या नहीं । उसे ध्यान नहीं है, कि नकल किस तारीख को जारी की थी। उसे ध्यान नहीं है, कि उसने जो नकल जारी की, उस पर दिनांक डाली या नहीं। नकल जारी करते समय उस पर दिनांक डालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वे बैकडेट मे नकल जारी करते हों। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 15 में नकल जारी करने की दिनांक कहीं भी अंकित नहीं है ।

27. साक्षी पी०ड०13 राजवीर सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 29.08.2018 को थाना रूपबास पर कॉनि० के पद पर तैनात था । उस दिन चार पैकिट सीलशुदा एचएम मालखाना ने एफएसएल, जयपुर में जमा कराने हेतु दिये थे, जिनको जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त कर एचएम मालखाना को दी, जो रसीद प्रदर्श पी16 है । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि उन पैकेटों के अंदर क्या था, उसे नहीं पता, क्योंकि वे सील्डशुदा थे ।

28. अनुसंधान अधिकारी पी०ड०14 पुष्पेन्द्र सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 08.08.2018 को थाना रूपबास पर एएसआई के पद

पर तैनात था । उस दिन थाने पर सूचना मिली, कि गॉव चैकोरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है। सूचना पर वह मय जीप सरकारी चालक व मुलाजिमान चैकोरा गाँव रवाना हुआ, तो गाँव चैकोरा से पहले ही अधजली महिला राधा को एम्बूलेंस लेकर आ रही थी। वे गाडी एम्बूलेंस के पीछे लगाकर सीएचसी, रूपबास आए, जहाँ उस जली हुई महिला के पर्चा बयान लेखबद्ध किए। उक्त पर्चा बयान पर मुकदमा नम्बर 409/2018 धारा 307, 323 आईपीसी में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। पर्चा बयान राधा प्रदर्श पी 17 है, जिस पर ए से बी राधा व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस ई से एफ है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुनः पीडिता के बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किए गए । दिनाँक 09.08.2018 को घटनास्थल पहुँचकर नक्शा मौका कसीद किया, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती अधजले पारचेजात पीडिता राधा प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द जब्ती कैरोसीन तेल युक्त मिट्टी व सादा मिट्टी प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नक्शा बरादमगी स्थल प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती एक पीपी प्लास्टिक बरंग हल्की पीली पुरानी प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर सील मौहर अंकित है। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम सत्यप्रकाश व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे गवाहान तथा के से एल उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द इत्तला दफा 27 प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी मुलजिम सत्यप्रकाश व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द इत्तला दफा 27 प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द इत्तला दफा 27 प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 22 है, जिस पर ए से बी गवाह व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है, जो शामिल पत्रावली की गई। एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी21 है । अधजली राधा के फोटोग्राफ्स प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये । पीडिता राधा के दौराने ईलाज हॉस्पीटल के कागजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये । पीडिता राधा की मृत्यु होने पर बाद पंचायतनामा कार्यवाही धारा 302 जोडे जाने पर पत्रावली अनुसंधान हेतु एसएचओ साहब को सुपुर्द की । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि वह जब थाने से रवाना हुआ, तब रवानगी थाने पर डाली थी । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वक्त घटना मौके पर मृतका का अकेला होना पाया हो । स्वयं कहा कि मृतका के बच्चे एवं पति घर पर मौजूद थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने मृतका के बच्चों के बयान मनमर्जी लिए हों तथा उसे मृतका के बच्चों ने वक्त घटना उनका घर पर मौजूद होना नहीं बताया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने मुलजिम को शाम के आठ बजकर उन्तालीस मिनट पर उसके घर से गिरफ्तार किया था। मुलजिम की गिरफ्तारी बाद पूछताछ थाने पर बनाई थी। यह सही है कि मुलजिम की इत्तला से मिट्‌टी जब्त नहीं की तथा मिट्‌टी मुलजिम की गिरफ्तारी से पूर्व जब्त की थी। उसे मुलजिम ने दिनांक 11.08.2018 को पीपी के सम्बन्ध में इत्तला दी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इत्तला प्रदर्श पी 21 मुलजिम द्वारा पीपी बाबत ही दी गई है, जो दिनांक 10.08.2018 को दी गई है। स्वयं कहा कि सूचना प्रदर्श पी 21 झूठी पायी गई तथा मामले में सूचना प्रदर्श पी 20 के आधार पर ही बरामदगी की है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि बरामदगी पीपी खुले खेत से की गई है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि बरामदगी स्थल तक किसी भी व्यक्ति की पहुँच सरल थी तथा मौके पर जब्तशुदा पीपी एक तरफ पडी हुई मिली थी। यह सही है, कि उक्त पीपी छिपाकर नहीं रखी गई थी तथा उक्त पीपी पर कोई विशेष पहचान चिन्ह या ईबारत अंकित नहीं थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीपी को अँगुली, छाप विशेषज्ञ की जाँच हेतु नहीं भेजा। यह सही है, कि बरामदगी स्थल के चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल नहीं थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसकी तफ्तीश में अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज माँगने वाली बात सामने नहीं आई। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस मुकदमे से पूर्व मृतका या उसके परिजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध दहेज की माँग या मारपीट की कोई रिपोर्ट किसी थाने में पेश नहीं की गई। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 पर

किसी चिकित्सक का इस बाबत नोट नहीं है, कि तत्समय मृतका बयान देने की हालत में हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पर्चा बयान लेते समय चिकित्सक मौजूद नहीं हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उक्त बयान पर चिकित्सक के हस्ताक्षर नहीं करवाए। यह सही है, कि पर्चा बयान के समय मृतका के पडौसी, परिवारजन मौजूद थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पर्चा बयान के समय मृतका बोलने की स्थिति में नहीं हो और उसने उसके घरवालों के कहने से मनमर्जी बयान लिखे हों। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने अभियुक्त को मृतका के बच्चों के बयानों के आधार पर ही दोषी पाया है । स्वयं कहा, कि मृतका ने अपने पर्चा बयानों में अभियुक्त के उपर दोषारोपण किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने अभियुक्त के पडौसी रामनिवास मास्टर व श्रीकृष्ण आदि के बयान नहीं लिए । स्वयं कहा, जो मौके पर मौजूद पाया गया, उसके बयान लिए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने परिवादी पक्ष से मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध गलत तफ्तीश की हो ।

29. साक्षी पी०ड० 15 मदनलाल ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनॉक 27.08.2018 को थाना रूपबास पर एस एच ओ के पद पर तैनात था । उस दिन प्रकरण संख्या 409/2018 थाना रूपबास की पत्रावली उसे अग्रिम अनुसंधान हेतु पुष्पेन्द्र ए एस आई ने सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान गवाह श्यामसिंह, विष्णु सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। मृतका राधा के ईलाज सम्बन्धी कागजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए गए। जब्तशुदा माल को वास्ते परीक्षण एफ एस एल भिजवाया जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। मृतका राधा के मृत्युकालीन कथनों की सत्यप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण अनुसंधान से आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ संतोली के खिलाफ जुर्म धारा 302, 323, 498ए आईपीसी प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने गवाह श्यामसिंह व विष्णु के अलावा अन्य किसी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं किये । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उक्त गवाह चश्मदीद नहीं थे तथा इनके अलावा जितने भी अन्य गवाह थे, उनके तितम्बा लेखबद्ध नहीं किये गये । उक्त दोनों के बयान उसके निर्देशन में उसके रीडर ने टाईप किये थे ।

30. साक्षी पी०ड०16 श्री मनीष कुमार सिन्हा, आर०जे०एस० ने सशपथ

साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 08.08.2018 को ए.सी.जे. एण्ड जे.एम. सं. 2 भरतपुर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सीजेएम, भरतपुर के आदेश से एफआईआर सं. 409/2018 पुलिस थाना रूपबास जिला, भरतपुर में पीडिता राधा पत्नि सत्यप्रकाश के मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने हेतु उसे आदेशित किया गया था। आदेश की पालना में वह आरबीएम अस्पताल भरतपुर पहुंचा, जहाँ पर बर्न वार्ड की बैड नं. 21 पर पीडिता राधा मिली तथा उसे डॉक्टर रामवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, आरबीएम अस्पताल भरतपुर ने पीडिता राधा की 90 प्रतिशत जले होने की सूचना प्रदान की थी तथा बताया कि पीडिता बयान देने में सक्षम है, जिनकी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई थी। उसके द्वारा राधा से प्रारम्भिक प्रश्न पूछे गये थे तथा राधा के परिवार वालों को वार्ड से बाहर निकालकर राधा से प्रश्न पूछे गये थे। उसकी राय में राधा स्वेच्छया बयान देना चाहती थी, जिस कारण 6.15 पीएम पर उसने राधा के मृत्युकालिक कथन प्रश्न-उत्तर के रूप में लेखबद्ध किये थे। राधा ने अपने मृत्युकालिक कथन में यह बताया था, कि उसके पति ने उसे तीन दिन से खाना नही दिया था तथा उसने बच्चों के साथ शराब पीकर मारपीट की थी। पीडिता राधा द्वारा अपने पति को यह कहा गया था, कि रोजाना दिन क्लेश अच्छा नहीं है, जिस पर उसके पति ने उसका सिर फोड दिया। उसका सिर पत्थर से फोडने का कथन पीडिता ने किया था तथा अपने पति को जब उसने यह कहा कि वह मर जायेगी, तो उसके पति ने उस पर कैरोसीन डालकर आग लगा दी थी। थोडी देर बाद उसके बच्चों ने उस पर पानी डालकर उसे बचाया था। उसकी जेठ और जिठानी पीडिता को आरबीएम अस्पताल, भरतपुर लाये थे। यह बात भी पीडिता ने उसे बतायी थी। पीडिता के बयान लेखबद्ध करने के पश्चात उसने बयान पढ़कर पीडिता को सुनाये थे, जिसे सुन समझकर पीडिता ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। पीडिता राधा के मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी पीडिता राधा तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा माननीय सीजेएम साहब, भरतपुर का आदेश प्राप्त होने के पश्चात लिखी गई आदेशिका प्रदर्श पी26 है, जिस पर ए से बी डॉ. रामवीर असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी आरबीएम अस्पताल भरतपुर की रिपोर्ट तथा सी सी डी डॉ रामवीर तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मृत्युकालिक कथन व आदेशिका की कार्बन प्रति उसके द्वारा उसी दिन अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी पुलिस थाना रूपवास को प्रदान की गई थी तथा अगले कार्य दिवस दिनांक 09.08.2018 को

पीडिता राधा के मृत्युकालिक कथन व आदेशिका मूल ही न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपबास, भरतपुर को पत्र के माध्यम से भेजा था। उक्त पत्र प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । हस्ताक्षर के नीचे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02, भरतपुर की मोहर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि उसे सीजेएम साहब का आदेश प्राप्त हुआ था, जो पत्रावली पर उपलब्ध है या नहीं, वह नहीं बता सकता। उसे पत्रावली देखने पर आदेश अभी नही मिल रहा है। डॉक्टर ने उसके सामने जो सर्टिफिकेट दिया था, उसमें पीडिता के 90 प्रतिशत बर्न की बात स्पष्ट रूप से अंकित नही है। डॉक्टर ने कुछ 90 लिखा है, जो बर्न के सम्बन्ध में है या नहीं, वह स्पष्ट नही बता सकता। जिस समय उसने पीडिता के बयान लिये थे, उस समय उसका सिर फूटा हुआ था या नही, उसे समय ज्यादा होने के कारण याद नहीं है, परन्तु पीडिता ने उसे यह बात बताई थी, जो उसे याद है। उसने पीडिता के मानसिक स्थिति को जाँचने हेतु पीडिता से पहले बातचीत की थी और प्रारम्भिक प्रश्न भी किये थे, जिसमें उसे पीडिता का मानसिक रूप से बयान देने हेतु मानसिक रूप से सही स्थिति में होना दर्शित हुआ था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मानसिक जॉच हेतु पूछे गये प्रश्न अंकित नहीं है तथा प्रारम्भिक प्रश्न भी अंकित नहीं है। पीडिता की स्थिति ज्यादा खराब थी, इसलिए प्रारम्भिक प्रश्न वगैरह लिखने में समय व्यर्थ ना करते हुये, सीधे मुख्य प्रश्नों तथा उत्तर को लेखबद्ध किया गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करते समय उसने कोई गवाह नही रखे थे, क्योंकि विधिअनुसार यह आवश्यक नहीं था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मृत्युकालिक कथन पर किसी भी अन्य गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, केवल पीडिता के हस्ताक्षर है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 25 पर डॉक्टर के हस्ताक्षर नही है। स्वयं कहा कि प्रदर्श पी 26 पर उपलब्ध है, दोनो दस्तावेज एक समय तैयार किये गये थे, इसलिए अलग-अलग हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होने से नही कराये गये। इस सुझाव को स्वीकार किया है, प्रदर्श पी 26 पर उसके व डॉक्टर के अलावा अन्य किसी गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है।

31. चिकित्सकीय साक्षी पी०डब्ल्यू० 17 डॉ० अनिल सोलंकी ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 21.08.2018 को एसएमएस अस्पताल, जयपुर में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस

अधीक्षक, भरतपुर के प्रार्थना पत्र पर मृतका राधा पत्नि सत्यप्रकाश का शव परीक्षण मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। मेडिकल बोर्ड का गठन मेडिकल बोर्ड इंचार्ज एसएमएस अस्पताल जयपुर के आदेश पर किया गया, जिसमें उसके अलावा डॉ. आर.के. वर्मा बोर्ड के सदस्य थे। एसएमएस के भर्ती रिकॉर्ड के अनुसार मृतका की मृत्यु दिनांक 20.08.2018 को 11.45 एएम पर हुई, जिसका शव परीक्षण दिनांक 21.08.2018 को 12.15 पीएम पर शुरू किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार मृतका दिनांक 08.08.2018 को एसएमएस के बर्न विभाग में भर्ती हुई। पुलिस पंचायतनामा के अनुसार मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई थी। मृतका सामान्य कद व काठी की थी, जिसके पूरे शरीर पर अकडन आयी हुई थी। पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग के पिछले व डिपेन्डेन्ट भाग पर (हैल्दी एरिया) में, जिसका मुँह व दोनों आँखें बंद थी। आँखों का कार्निया हेजी पाया गया। सभी ऑर्गन कन्जेस्टेड पाये गये। मृतका के शव परीक्षण के दौरान शरीर पर जली हुई चोटों का विवरण निम्नानुसार है-

1. लीजन सुपरफिसियल से लेकर डीप बर्न तक, जिस पर स्किन उतरी हुई थी। साईन ऑफ इन्फ्लामेशन पाया गया। पस और स्लिफ फॉरमेशन पाया गया, जिसमें बदबू आ रही थी। सिर व शरीर के बाल जले हुए थे। जगह-जगह काला पडा हुआ था, जो शरीर के निम्न भाग पर पाई गई।

चेहरा व गर्दन पूरी तथा दोनों तरफ के आगे के बाल और पैराईटल भाग के बाल जड तक जले हुए थे। छाती में आगे बाँयी तरफ जगह-जगह पर और दॉयी तरफ छाती पर व पेट पर पूरा जला हुआ था व पीछे की तरफ छाती व पेट जगह-जगह पर जले हुए थे। बांई भुजा, अग्र भुजा और हथेली पूरी जली हुई थी। पिछली तरफ बॉयी भुजा भी जली हुई थी। दॉयी तरफ पूरी भुजा जली हुई थी। उपरोक्त बर्न लीजन एन्टीमार्टम इन नेचर था। बोर्ड की राय में मृत्यु का कारण शॉक था, जो मृत्यु पूर्व ड्राई हीट फ्लेम बर्न के कारण था, जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी डॉ. आर. के. वर्मा मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्य के हस्ताक्षर है । ई से एफ भाग पर मृत्यु की राय दी गई है तथा जी से एच भाग पर मृतका के शरीर पर आयी जली हुई चोटों का विवरण है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि पोस्टमार्टम करने से पूर्व मृतका ने हॉस्पीटल ड्रेस पहन

रखी थी । उसने मृतका को सादा कपडे पहने नहीं देखा । मृतका द्वारा स्वयं अपने शरीर पर आग लगा लिये जाने से उक्त चोटों की आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मृतका के शरीर पर बर्न के अलावा मृत्यु से पूर्व की कोई (एन्टीमॉर्टम) चोट नहीं थी ।

32. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपर्युक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है, कि घटना के दिन दिनांक 08.08.2018 को मृतका राधा द्वारा घटना बाबत् दो बार बयान दिये गये हैं, जिसमें मृतका का प्रथम कथानक अर्थात पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 रहा है, जिसके अनुसार अभियोजन कथानक यह प्रकट हुआ है, कि दिनांक 18.08.2018 को दोपहर करीब 02.020 बजे उसने व उसके लडके सनी ने उसके पति से शराब पीने को मना किया, तो उसका पति उसके बेटे को पीटने लगा, जब उसने अपने बेटे का बचाने की कोशिश की, तो उसके पति सत्यप्रकाश ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह जोर-जोर से चिल्लाई, तो पडौसियों ने उसकी आग बुझाने की कोशिश की, परन्तु उसका शरीर काफी जल चुका था । उक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी17 के कुछ घण्टों पश्चात् ही साक्षी पी०ड०16 मनीष द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 लेखबद्ध किया गया है, जिसमें मृतका ने अभियोजन कथानक यह बताया है, कि उसे अभियुक्त अर्थात् उसके पति ने तीन दिनों से खाना नहीं दिया था, जिसने उसके बच्चों को शराब पीकर मारा, तो उसने बच्चों को मारने से रोका और कहा कि रोज-रोज का कलेश अच्छा नहीं होता, तो अभियुक्त ने पत्थर से उसका सिर फोड दिया, जिस पर उसने कहा, कि वह मर जायेगी, तो अभियुक्त ने उसके ऊपर कैरोसीन डालकर आग लगा दी, जिसके थोडी देर पश्चात् उसके ऊपर उसके बच्चों ने पानी डाल दिया, जिससे वह बची, उसका पति मौके से भाग गया । उसे अस्पताल उसके जेठ श्याम सिंह व जेठानी सीमा ने पहुंचाया । अभियुक्त के मन में कोई दया नहीं है ।

33. इस प्रकार घटना के दिन स्वयं मृतका द्वारा दिये गये उक्त दोनों कथानक में तात्विक भिन्नता प्रकट हुई है, क्योंकि पर्चा बयान प्रदर्श पी17 में मृतका ने अभियुक्त का उसे तीन दिनों से भूखा रखने बाबत् कोई कथन नहीं किया है, जबकि मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में मृतका ने घटना के दिन अभियुक्त को उसके व उसके पुत्र सनी द्वारा शराब पीने से रोकने-टोकने बाबत् कोई अंकन नहीं किया है । यहां यह उल्लेखनीय है, कि मृतका ने उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी17 में

घटना के समय अभियुक्त द्वारा उसका सिर पत्थर से फोड देने बाबत् बयान नहीं दिया है, जबकि मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में मृतका ने अभियुक्त द्वारा उस पर कैरोसीन डालकर आग लगा देने से पूर्व उसका पत्थर से सिर फोड देने बाबत् बताया है । पर्चा बयान प्रदर्श पी17 में मृतका ने उसका जोर-जोर से चिल्लाने पर पास-पडौसियों द्वारा आकर उसकी आग बुझाने की कोशिश करना अंकित करवाया है, जबकि मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में मृतका ने मौके पर किसी भी पडौसी का आना नहीं कहा है, मात्र उसके बच्चों द्वारा उस पर पानी डालकर आग बुझाने एवं उसकी जान बचाने का कथन किया है । इस प्रकार घटना के दिन मृतका द्वारा दिये गये उक्त दोनों महत्वपूर्ण बयानों में तात्विक विरोधाभास प्रकट हुआ है ।

34. प्रकरण में मृतका की एक पुत्री पी०ड० 01 निक्की उर्फ निकिता तथा एक पुत्र पी०ड० 02 अनुराग उर्फ सनी को परीक्षित करवाया गया है, परन्तु मृतका की उक्त दोनों संताने उनकी साक्ष्य में अभियोजन कथानक के लिये शत-प्रतिशत पक्षद्रोही रही हैं । मृतका की पुत्री पी०ड० 01 निकिता ने घटना के समय स्वयं का स्कूल से आकर घर के बाहर छप्पर में बैठकर पढाई करना, कि तभी मृतका की चिल्लाने की आवाज आने पर घर के अंदर जाकर देखने पर मृतका को जली हुई अवस्था में मिलना बताया है, जिसने महत्वपूर्ण रूप से कथन किया है, कि घटना के समय उसके पापा अर्थात अभियुक्त सत्यप्रकाश मौके पर नहीं थे तथा उनके घर में कोई नहीं था । उक्त साक्षिया ने अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में घटना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं तात्विक सुझावों को अस्वीकार कर, गलत होना बताया है । यद्यपि उक्त साक्षिया ने घटना के समय उसके घर में वक्त घटना किसी का नहीं होना बताया है, परन्तु स्वयं मृतका के कथनानुसार ही घटना के समय मौके पर उसका पुत्र पी०ड० 02 अनुराग उर्फ सनी का भी घर पर मौजूद होना प्रकट हुआ है । उक्त पी०ड० 02 अनुराग भी घटना के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ रहा है, जिसने साक्ष्य में बताया है, कि उसकी मां के साथ कुछ नहीं हुआ, जिसने अभियोजन द्वारा की गई जिरह में भी स्वयं का घटना के समय अपनी बहिन निकिता के साथ दोपहर में स्कूल से पढकर आना एवं बाहर छप्पर में ही बैठ जाना बताया है । उक्त महत्वपूर्ण गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है, कि घटना के पूर्व उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की हो, जिसे उसकी माता ने बचाया हो, अपितु इस गवाह ने मृतका द्वारा स्वयं अपने आपको आग लगा लेना

बताया है । उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य भी अभियोजन कथानक के लिये किसी प्रकार से सहायक नहीं रही है ।

35. मामले में मृतका द्वारा दिये गये मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में उसे को मौके से जली हुई अवस्था में उसके जेठ श्याम सिंह एवं जेठानी सीमा द्वारा अस्पताल ले जाना अंकित करवाया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका के जेठ श्याम सिंह को पी०ड० 09 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जो अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही होते हुये, अभियोजन कथानक की किसी प्रकार से सम्पुष्टि नहीं करता है, जिसने मृतका के जलने एवं उसके अस्पताल पहुंचाये जाने के कथन अवश्य किये हैं, परन्तु मृतका का खाना बनाते समय अचानक आग से जल जाना बताया है । उक्त साक्षी ने भी वक्त घटना अभियुक्त का मौके पर नहीं होना कहा है तथा प्रतिपरीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मृतका की पहले से ही मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसका उसके पिता ने भी ईलाज कराया था । इस घटना से पूर्व मृतका ने कई बार मिट्‌टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी । मामले में मृतका की जेठानी सीमा से कोई अनुसंधान किया जाना जाहिर नहीं आया है, ना ही उसे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची में कोई स्थान प्रदान किया गया है । उक्त सीमा को अभियोजन पक्ष ने सम्पूर्ण विचारण के दौरान न्यायालय में परीक्षित करवाने का भी कोई प्रयास नहीं किया है ।

36. मृतका की पडौसी साक्षिया पी०ड० 03 श्रीमती ने भी पक्षद्रोही होते हुये अपने कथनों में घटना की सम्पुष्टि नहीं है, जिसने राधा की मृत्यु के बारे में कुछ भी जानने व सुनने से इंकार किया है । साक्षी पी०ड० 04 ने स्वयं का घटना के तुरंत पश्चात् मौके पर पहुंचना बताया है, परन्तु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने भीड में किसी भी व्यक्ति से यह नहीं सुना, कि सत्यप्रकाश की पत्नि को किसी ने जलाया है । उसने यह बात घटना से लेकर आज तक नहीं सुनी है । आगे उक्त गवाह पी०ड० 04 ने महत्वपूर्ण रूप से यह स्वीकार किया है, कि उसने मौके पर मौजूद लोगों से यह सुना था, कि मृतका खाना बनाते समय साडी में आग लग जाने के कारण जली थी । उक्त साक्षी ने अपने पुलिस बयान नहीं होना बताया है । इसी प्रकार साक्षी पी०ड० 05 दीपू सिंह ने भी वक्त घटना मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना, मृतका द्वारा पूर्व में भी कई बार आत्मदाह का प्रयास किया जाना एवं मृतका के

पिता द्वारा उसका मानसिक ईलाज करवाये जाने का कथन करते हुये अपने सम्पूर्ण पुलिस बयान प्रदर्श पी09 को पुलिस को लिखवाये जाने से इंकार किया है । गवाह पी०ड० 06 शिवमोहन मृतका का सगा भाई होना प्रकट हुआ है, जो मृतका की पुत्री पी०ड० 01 निकिता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सीधे रूपबास अस्पताल, जिसके बाद भरतपुर अस्पताल पहुंचा है । उक्त साक्षी ने भी उसके पुलिस बयानों में घटना बाबत् अंकित तात्विक भाग से इंकार करते हुये, सभी सुझावों को गलत होना कहा है। साक्षी पी०ड० 11 विष्णु सिंह भी मृतका का सगा भाई रहा है, जिसे भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है । उक्त साक्षी ने भी सीधे जयपुर अस्पताल जाना एवं मृतका को उपचाररत पाया जाना बताया गया है, जिसने महत्वपूर्ण रूप से कथन किया है, कि उसकी मृतका से पांच-छः दिन अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई । उक्त साक्षी ने भी उसके पुलिस बयान में वर्णित सम्पूर्ण महत्वपूर्ण भाग को गलत होना बताया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं दी है । मामले में साक्षी पी०ड० 01 निकिता, पी०ड० 02 अनुराग, पी०ड० 06 शिवमोहन व पी०ड० 09 श्याम सिंह ने उनकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है, कि घटना के समय अभियुक्त घर पर नहीं था । स्वयं मृतका के पुत्र पी०ड० 02 सनी ने अभियोजन कथानक के अनुसार वक्त घटना अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने, उसे मृतका द्वारा बचाये जाने एवं अभियुक्त द्वारा मृतका के सिर पर पत्थर से चोट मारे जाने संबंधी कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर किसी भी गवाह ने ऐसा भी कोई कथन नहीं किया है, कि घटना के समय अभियुक्त ने मृतका पर कैरोसीन डालकर आग लगाई हो । इस प्रकार मृतका के सभी सगे-संबंधियों एवं परिजनों की साक्ष्य से अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध से जोडकर देखा जाना विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है ।

37. जहां तक अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज की मांग करते हुये तंग व परेशान करने का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है, कि मृतका द्वारा दिये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी17 एवं मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में मृतका द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, कि अभियुक्त ने उससे विवाह के पश्चात् किसी समय दहेज स्वरूप किसी वस्तु की मांग की हो तथा मृतका की ओर से उक्त मांग की पूर्ति नहीं किये जाने पर उसके साथ मारपीट एवं क्रूरता कारित की हो । मृतका की दोनों संतानों पी०ड० 01 व पी०ड० 02 ने उनकी साक्ष्य में

कथन किया है, कि उन्होंने उनके माता-पिता के बीच कभी भी कोई लडाई-झगडा नहीं देखा । मृतका के सगे भाई पी०ड० 06 शिवमोहन, पी०ड० 11 विष्णु एवं अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये किसी अन्य गवाह ने भी अभियुक्त द्वारा मृतका से किसी अवसर पर, किसी प्रकार की मांग एवं मारपीट किये जाने का कोई कथन नहीं किया है। इस संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 14 पुष्पेन्द्र ने उसकी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है, कि उसकी सम्पूर्ण तफ्तीश में अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज मांगने वाली बात सामने नहीं आई, जिसने आगे यह भी स्वीकार किया है, कि इस मुकदमे से पूर्व मृतका या उसके परिजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध दहेज की मांग या मारपीट की किसी थाने में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है । मृतका की पडौसी गवाह पी०ड० 03 श्रीमती, पी०ड० 04 लक्ष्मीनारायण, पी०ड० 05 दीपूसिंह तथा मृतका के जेठ पी०ड० 09 श्याम सिंह की साक्ष्य से भी ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त द्वारा मृतका से किसी समय दहेज स्वरूप किसी वस्तु की मांग एवं उक्त मांग की पूर्ति ना होने पर मारपीट एवं प्रताडना कारित किया जाना विश्वसनीय माना जा सके । प्रकरण में मृतका के पुत्र सनी के शरीर पर घटना से पूर्व अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट के फलस्वरूप कारित किन्हीं चोटों के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी है, ना ही मृतका के उक्त पुत्र के शरीर पर कारित ऐसी चोटों के फलस्वरूप कोई मेडिकल मुआयना ही करवाया जाना प्रकट हुआ है । मृतका ने उसके मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व अपने बच्चे का बचाव करते समय पत्थर से सिलबटना से अपने सिर पर चोट मारा जाना एवं सिर फूट जाने का कथन अवश्य किया है, परन्तु मृतका का उक्त कथन अभिलेख पर प्रस्तुत की गई चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं रही है, बल्कि मामले में चिकित्सा अधिकारी पी०ड० 17 डॉ० अनिल कुमार की सशपथ साक्ष्य एवं मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी23 के अवलोकन से मृतका के शव पर कोई बाह्य चोट होना प्रकट नहीं हुआ है, जिस स्थिति में मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी पी०ड० 13 ने उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है, कि मृतका के शव का मुआयना किये जाते समय उसके शरीर पर मृत्यु से पूर्व कारित की गई कोई एंटीमॉर्टम चोट नहीं पाई गई थी, जिससे मृतका द्वारा उसके मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में दिये गये बयानों की उपलब्ध साक्ष्य से किसी प्रकार की सम्पुष्टि नहीं हो सकी है ।

38. यद्यपि किसी भी आपराधिक मामले में यह सामान्य नियम है, कि यदि मृत्युकालिक कथन सच्चा, स्वेच्छिक एवं विश्वसनीय प्रकट हो, तो केवल ऐसे कथन के आधार पर ही दोषसिद्धि कायम की जा सकती है अर्थात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक कथन को एक बहुत ही शक्तिशाली साक्ष्य माना जाता है । विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार मृत्यु से पूर्व दिये गये बयान की स्वीकार्यता के संबंध में न्यायिक सिद्धांत यह है, कि ऐसा बयान उस समय दिया जाता है, जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है, जिसकी दुनिया से सारी आशायें एवं अपेक्षायें समाप्त हो चुकी होती है, जिसके पास झूठ बोलने का कोई कारण शेष नहीं रहता है, जिस अवस्था में यह माना जाता है, कि ऐसा व्यक्ति उक्त प्रबल कारणों से केवल सच बोलने के लिये प्रेरित होता है, परन्तु इसके बावजूद इस प्रकार की साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाये, इस बाबत् विचार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बयान की सत्यता को विभिन्न परिस्थितियां प्रभावित कर सकती हैं । मृत्युकालिक कथन के संबंध में आरोपी को जिरह का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, जिस कारण मृत्युकालिक कथन ऐसा होना चाहिये, जिससे न्यायालय को उसकी सत्यता एवं शुद्धता पर पूर्ण विश्वास हो । हस्तगत मामले में मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 लेखबद्ध किये जाने से पूर्व साक्षी पी०ड० 16 मनीष ने वहां मौजूद चिकित्सक से मृतका के बयान देने की स्थिति में होने बाबत् रिपोर्ट लिये जाने का कथन किया है, जिससे यह अवश्य प्रकट हुआ है, कि तत्समय मृतका उससे पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रही थी, परन्तु मृतका के सहोदय भाई पी०ड० 06 व पी०ड० 11 ने एकस्वर में स्वीकार किया है, कि मृतका की मानसिक स्थिति पहले से ही खराब थी, जिसका उनके पिता भीखम सिंह ने भी ईलाज करवाया था तथा मृतका ने भी इस घटना से पूर्व कई बार स्वयं को आग लगाने का प्रयास किया था । मृतका की संतानों व अन्य गवाहान ने भी मृतका की मानसिक स्थिति काफी समय से खराब होना एवं उसके द्वारा इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दिये जाने का कथन किया है । मृतका के मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी25 में वर्णित तथ्यों का उपलब्ध मौखिक एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से भारी टकराव रहा है । अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से मृतका के उक्त कथन किसी भी प्रकार से सम्पोषित एवं विश्वसनीय प्रकट नहीं हुये हैं । यहां यह भी महत्वपूर्ण है, कि चिकित्सा अधिकारी पी०ड० 17 डॉ० अनिल सोलंकी ने उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी

स्वीकार किया है, कि मृतका द्वारा स्वयं अपने शरीर पर आग लगा लिये जाने से उक्त चोटों के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो स्वीकारोक्ति मृतका के मानसिक स्वास्थ्य बाबत् उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये महत्वपूर्ण हो जाती है, जो मृतका द्वारा आत्मदाह की संभावना को भी प्रबल बनाती है, जिन सभी परिस्थितियों में अभियोजन कथानक प्रबल संदेह के घेरे में होना प्रकट हुआ है ।

39. मामले में दौराने अनुसंधान अभियुक्त तीन पृथक-पृथक सूचनायें अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिया जाना प्रकट हुआ है, जिनमें से सूचना प्रदर्श पी19 के आधार पर अभियुक्त की निशांदेही से तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 08 बनया जाना प्रकट हुआ है, परन्तु उक्त घटनास्थल की जानकारी मृतका के पर्चा बयान प्रदर्श पी17 लेखबद्ध किये जाने के समय ही पुलिस को हो जाना प्रकट हुई है । यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि मामले में फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी01 घटना के अगले दिन दिनांक 09.08.2018 को तैयार कर लिया जाना प्रकट हुआ है, जबकि फर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी08 दिनांक 11.08.2018 को मुर्तिव किया गया है, जिससे भी यह स्पष्ट है, कि पुलिस को उक्त घटनास्थल की जानकारी नक्शा मौका प्रदर्श पी01 बनाये जाते समय बखूबी हो चुकी थी, जिन परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी19 के आधार पर मामले में किन्हीं नवीन तथ्य एवं साक्ष्य घटना के समय प्रकट नहीं हुये हैं, जिन दोनों फर्दात की कोई साक्ष्यिक अहमियत नहीं रही है । अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी21 के संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 14 ने स्वीकार किया है, कि उक्त सूचना झूठी पाई गई थी, मामले में बरामदगी सूचना प्रदर्श पी20 के आधार पर ही हुई है । अभियुक्त द्वारा दी गई ईत्तला प्रदर्श पी20 के आधार पर अभियुक्त से एक कैरोसीन भरी हुई पीपी जरिये फर्द प्रदर्श पी 10 बरामद किया जाना प्रकट हुआ है, परन्तु उक्त फर्दात एवं अनुसंधान अधिकारी की सशपथ साक्ष्य से यह स्पष्ट है, कि फर्द प्रदर्श पी10 के जरिये बरामद की गई पीपी खुले खेत से बरामद हुई थी, जहां तक किसी भी व्यक्ति की पहुंच सहज एवं सरल थी । अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 14 ने यह भी स्वीकार किया है, कि बरामदगी स्थल पर उपलब्ध पीपी छुपाकर नहीं रखी गई थी, जिस पीपी पर कोई विशेष पहचान या ईबारत अंकित नहीं थी, ना ही उक्त पीपी को अंगुली छाप विशेषज्ञ से जांच करवाने हेतु

भिजवाया गया । इस प्रकार उक्त जब्तशुदा पीपी को अभियुक्त के कब्जेशुदा एवं एकमात्र जानकारी वाले स्थान से बरामद किया जाना प्रकट नहीं हुआ है । मामले में प्रस्तुत किया गया विधि विज्ञान प्रयोगशाला नतीजा प्रदर्श पी24 भी अभियुक्त पर आरोपित अपराधों की सम्पुष्टि के क्रम में किसी भी प्रकार से सहायक होना प्रकट नहीं हुआ है ।

40. साक्षी पी०ड० 05 दीपूसिंह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी07 एवं फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी08 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, जिसने बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा में फर्द प्रदर्श पी07 एवं प्रदर्श पी08 पर भी उसके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर करवाया जाना कहा है। मृतका के भाई पी०ड० 06 शिवमोहन ने भी उसके हस्ताक्षर नक्शा मौका प्रदर्श पी07 एवं फर्द प्रदर्श पी10 पर उसके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर करवाया जाना कहा है, जबकि साक्षी पी०ड० 07 सत्यवीर सिंह अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी का औपचारिक गवाह रहा है । साक्षी पी०ड० 10 जगन सिंह ने पंचनामा लाश प्रदर्श पी13 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना अवश्य कहा है, परन्तु उक्त हस्ताक्षर पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर करवाया जाना बताया है तथा इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । साक्षी पी०ड० 08 कप्तान सिंह ने मौके से फर्द जब्ती पारचेजात प्रदर्श पी 02, फर्द जब्ती सादा व केरोसीन मिट्टी प्रदर्श पी03 एवं फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्श पी12 की सम्पुष्टि की है । साक्षी पी०ड० 12 गोविन्द सिंह ने मामले में जब्तशुदा सामग्री को नियमानुसार जमा मालखाना करने एवं मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 15 होना कहा है । साक्षी पी०ड० 13 राजवीर ने जब्तशुदा एवं सीलशुदा चार पैकेट को एफएसएल जमा करवाकर, रसीद प्रदर्श पी16 एचएम मालखाना को सुपुर्द करने की औपचारिक साक्ष्य दी है, जबकि साक्षी पी०ड० 15 मदनलाल ने अनुसंधान के दौरान मात्र गवाह श्याम सिंह व विष्णु के बयान लेना बताया है, जिन गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त पर आरोपित अपराधों के प्रति औपचारिक साक्ष्य प्रकट हुई है, जिसके आधार पर अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किया जाना न्यायोचित एवं सुरक्षित प्रकट नहीं होता है । मामले में मृतका के दोनों भाई एवं उसके पुत्र व पुत्री के अतिरिक्त अन्य सभी मौके पर तुरन्त पहुंचने वाले व्यक्तियों ने अभियुक्त के विरूद्ध लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं दी है । यद्यपि अभिलेख पर मृतका के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने बाबत्

कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परन्तु अभियोजन साक्ष्य से ही महत्वपूर्ण गवाहान का यह कथन प्रकट हुआ है, कि मृतका की काफी सालों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका ईलाज भी करवाया गया था तथा मृतका ने स्वयं को आग लगाने का पूर्व में भी कई बार प्रयास किया था, जिससे अभियोजन कहानी सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीय प्रकट नहीं होती है ।

41. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि किसी भी आपराधिक विचारण में साक्ष्य का कठोर निर्वचन का सिद्धान्त लागू होता है। आपराधिक विचारण में अभियोजन पक्ष का यह परम दायित्व है, कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी लोप अथवा उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त ही प्राप्त करने के अधिकारी माने गये हैं। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, कि अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2018 को दोहपर 02.00 बजे वाके गांव चैकोरा पुलिस थाना रूपबास में शराब पीकर अपने पुत्र सनी को स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा मारपीट करते समय सनी को बचाने आई पत्नि राधा, जिसके साथ रोज शराब पीकर क्रूरता कारित करते थे, ने शराब पीने से मना किया, तो उसके सिर पर सिलबटना मारा एवं मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कारित की। अतः उपरोक्त विवेचन से यह बिन्दु अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 02

42. चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या एक को अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त सत्यप्रकाश उर्फ संतोली को आरोपित अपराध धारा 302, 498ए, 323 भादंसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

आदेश

43. अतः अभियुक्त सत्यप्रकाश उर्फ संतोली पुत्र स्व० श्री किशनलाल,उम्र 40 वर्ष, निवासी- ग्राम चैंकोरा थाना रूपबास, जिला भरतपुर को आरोपित अपराध धारा 302, 498ए, 323 भादंसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

44. प्रकरण में जब्तशुदा माल बजह सबूत पारचेजात व प्लास्टिक की पीपी बरंग हल्की पीली को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नष्ट किया जावे ।

45. अभिलेख पर उपलब्ध परिवादी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त, मामले में परिवादी/आहत को उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार पीडित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत किसी प्रकार के प्रतिकर की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(प्रशांत शर्मा)

46. निर्णय व आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रशांत शर्मा)